न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सत्र वाद सं0–1939/2025

आदेश

11.08.2026 प्रस्तुत मामले में एकमात्र अभियुक्त भूषण सिंह उर्फ भूषण शर्मा की हाजिरी है। उक्त अभियुक्त की ओर से द0प्र0स0 की धारा 227 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 03.12.2025 पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदन उपरोक्त में यह उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक का मामला भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 326, 302, 120(बी) एवं आयुध अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत विचारण का सामना करने के लिए प्रेषित किया गया है। उनका आगे कथन है कि पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 632/2023 की प्राथमिकी पप्पू राय और अन्य के विरूद्ध सूचक सुरेश प्रसाद के द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने अपने छोटे भाई की कथित हत्या दिनांक 31.07.2023 में संलिप्तता का संदेह जताया गया था। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अनुसंधान के दौरान द0प्र0स0 की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने एकदूसरे को पहले से जानने के कारण आवेदक की कथित हत्या में संलिप्तता के संबंध में केवल अपना संदेह व्यक्त किया गया है। उनका आगे कथन है कि पूरक वाद दैनिकी की कंडिका 260 के अनुसार आवेदक के नाम पर जारी मोबाइल नंबर 8862969182 का कैफ प्राप्त किया गया है और उक्त मोबाइल का कॉल डिटेल्स 25.07.2023 से 05.08.2023 तक शून्य पाई गई। वाद दैनिकी की कंडिका 246 के अनुसार आवेदक के नाम से जारी मोबाईल नंबर 8789030826 का कैफ प्राप्त किया गया, जिसका टावर लोकेशन घटना के दिन घटनास्थल से अलग पाया गया है। आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है और उसके मोबाइल का लोकेशन और सीडीआर अभियोजन पक्ष की कहानी से भिन्न है। उपरोक्त गवाहों द्वारा लगाए गए संदेह के अलावा, वाद दैनिकी में ऐसी कोई अन्य सामग्री या परिस्थितियां नहीं है, जो आवेदक के विरूद्ध सूचक के भाई की हत्या के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला को साबित कर सके। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवेदक के विरूद्ध आरोप गठन हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है उपरोक्त मामले में आवेदक को उनके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाए।

विरोधस्वरूप विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत घटना सत्य पाते हुए उसके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। अनुसंधान के दौरान अभिलेख पर आए साक्ष्यों के आधार पर आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। निवेदन है उन्मोचन आवेदन खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है उसका नाम इस मामले में अनुसंधान के दौरान इस आधार पर आया है कि घटनास्थल के पास एक कार खड़ी पाई गई थी, जो आवेदक के नाम से पंजीकृत था। आवेदक की संलिप्तता के संबंध में वाद दैनिकी की कंडिका 430,

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

उपस्थित– राकेश कुमार–1, अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

सत्र वाद सं0–1939/2025

480, एवं 495 में आए तथ्यों से प्रतीत होती है तथा आवेदक ने भी वाद दैनिकी की कंडिका 36 में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए स्वीकार किया है कि घटना से 15–16 दिन पहले वह, अजय राय उर्फ विशाल तथा नसिरूद्दीन उर्फ रिंकु तीनों पप्पू राय एवं धप्पू राय के साथ बैठकर प्लान किया था कि निलेश मुखिया को रास्ता से हटाना है। घटना के दिन एवं घटना से कुछ देर पहले शूटर को निलेश मुखिया को उसके द्वारा पहचानवाया गया था। घटना के समय वे लोग चार चक्का गाड़ी में बैठे थे जब घटना शूटर द्वारा कारित कर दिया गया तो वे भागकर झारखंड चले गए। आवेदक द्वारा उन्मोचन आवेदन में उठाए गए अन्य प्रश्न विचारण का विषय है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अतः अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के अवलोकन एवं उपरोक्त तथ्यों के सम्य विश्लेषण के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 302, 120बी भा0द0स0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठन किए जाने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतएव, उपरोक्त आवेदक अभियुक्त के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 03.12.2025 में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उसे **खारिज** किया जाता है। वाद दिनांक 27.08.2026 को वास्ते आरोप गठन हेतु।

लेखापित एवं संशोधित

(राकेश कुमार–1)

अपर सत्र न्या0–प्रथम

निर्णय/आदेश की तिथि	11.08.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	28.07.2026
अपलोडिंग तिथि	11.08.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक